मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक : एल 1–10 / 1145/2020/ब–7/डीएमसी/चार/ भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर 2020

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/नर्मदा घाटी विकास,
नगरीय विकास एवं आवास/अनुसूचित जनजाति/पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2020–21** – बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स / देयकों के आहरण के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ :– इस विभाग का परिपत्र क्रमॉक : एल 1–10 /951/2020/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 27 जुलाई 2020

000

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 के शेष माहों हेतु पूँजीगत कार्यो के लिए संदर्भित पत्र की कंडिका (II) व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना के अंतर्गत बिन्दु क्र0–4 की उपकंडिका 4.4 में विशेष व्यय सीमा **परिशिष्ट–5** अनुसार निर्धारित की गई है । विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि उक्त विशेष व्यय सीमा हेतु परिशिष्ट–5 के अंतर्गत आने वाले विभागों के लिए संदर्भित परिपत्र की कंडिका (I) बजट आवंटन की उप कंडिका 2(ii) अनुसार रोकी गई 20 प्रतिशत राशि विमुक्त की जाती है ।

2. नर्मदा घाटी विकास एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विमुक्त की गई 20% कटौती की राशि का उपयोग केवल नाबार्ड के लिये स्वीकृत कार्यो में ही किया जायेगा। विभाग के द्वारा प्रेषित पुनर्विनियोजन प्रस्ताव के स्वीकृति के पश्चात् तदनुसार आहरण से विमुक्ति के पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे ।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 27/07/2020 के संलग्न परिशिष्ट–5 में माह अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक के लिए संशोधित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत) का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट अनुसार किया जाता है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया)
संचालक बजट
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र. एल 1–10 /1146/2020/ब–7/डीएमसी/चार/ भोपाल दिनांक 23 अक्टूबर 2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल ।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
3. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

22/10/20

(अरविन्द कुमार गुप्ता)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–5
संशोधित

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूंजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र0	विभाग	मॉग एवं मुख्य शीर्ष	अक्टूबर 2020	नवंबर 2020	दिसंबर 2020	जनवरी 2021	फरवरी 2021	मार्च 2021
1	लोक निर्माण	**24, 67**–4059, 4216, 5054	491	491	491	491	491	491
2	जल संसाधन	**23, 45**–4700, 4701, 4702, 4705, 4711	471	471	471	471	471	471
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	**20**–4215	470	470	470	470	470	470
4	नर्मदा घाटी विकास	**48**–4700, 4701, 4801	177	177	177	177	177	177
5	नगरीय विकास एवं आवास	**22**–4216, 4217	116	116	116	116	116	116
6	अनुसूचित जनजाति	**33**–4202, 4225	157	157	157	157	157	157
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	**30**–4515 **53**–4217, 59–4515	377	377	377	377	377	377
8	चिकित्सा शिक्षा	**52–4210**	101	101	101	101	101	101

नोट – 1. यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत आने वाली सभी मदों के लिये है। यदि किसी विभाग को निर्धारित व्यय सीमा के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता हो तो वह पृथक से प्रस्ताव भेजे ।